राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.17(6)/नविवि/नियम/2021 जयपुर, दिनांकः 28 SEP 2021

आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा की गई बजट घोषणा के संदर्भ में राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड़, जयपुर द्वारा **Rajasthan Solar Energy Policy**–2019 **and Rajasthan Wind and Hybrid Energy Policy**–2019 ज़ारी की गई हैं, जिसके बिन्दु संख्यां–13(iii) में अक्षय ऊर्जा आधारित वाहनों हेतु चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाने के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटन के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया हैं।

"Government land will be allotted at 50% concessional rate for first 500 Renewable Energy based EV charging Stations installed within 5 Years from the date of commencement of this policy"

अतः इस सम्बंध में सक्षम स्तर पर लिए गए निर्णयानुसार **Rajasthan Solar Energy Policy** – 2019 **and Rajasthan Wind and Hybrid Energy Policy**–2019 में किए गए प्रावधान के परिपेक्ष्य में जिन प्रथम 500 **EV charging Stations** में आरक्षित दर के 50 प्रतिशत की दर पर भूमि आवंटन किया जाना हैं, उनके प्रस्ताव अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा संबंधित शहरी निकाय के माध्यम से प्रस्तुत किए जाएंगे एवं संबंधित नगरीय निकाय/न्यास/प्राधिकरण/आवासन मण्डल द्वारा उक्त प्राप्त प्रकरणों में **त्वरित कार्यवाही करते हुए प्रकरण नियमानुसार स्वीकृति हेतु अविलम्ब राज्य सरकार को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावें** ताकि प्राप्त प्रकरणों के सम्बंध में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया जाकर स्वीकृति प्रदान की जा सकें।

भवदीय,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव,स्वायत्त शासन विभाग,राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लि0,जयपुर।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
7. संयुक्त शासन सचिव – प्रथम/द्वितीय/तृतीय नविवि, जयपुर।
8. आयुक्त जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
9. सचिव समस्त नगर विकास न्यास।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामशी/उपविधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
11. वरिष्ठ उपशासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम